GOVERNMENT BILLS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Appropriation (No.2) Bill, 2010 and the Appropriation (No.3) Bill, 2010.

The Appropriation (No.2) Bill, 2010

and

The Appropriation (No.3) Bill, 2010

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, I beg to move:

"That the Bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2010-11, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

I also beg to move:

"That the Bill to provide for authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2008 in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The questions were proposed.

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : माननीय उपसभापति जी, Appropriation Bill पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वर्तमान में हमारे देश के वित्त मंत्री, माननीय प्रणब मुखर्जी को मैं एक सीरियस, सीनियर और सज्जन politician के रूप में देखता हूं। आज हमारे सामने जो वित्त राज्य मंत्री, नमो नारायण मीणा जी बैठे हैं, वे तो मेरे पड़ोसी हैं। हम आमने-सामने रहते हैं और हम यहां पर भी आमने-सामने ही बैठे हैं ...(**व्यवधान**)... क्या?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : मेरे बगल में ही राजस्थान वाले बैठे हैं।

श्री रामदास अग्रवाल : जी हां, हम आमने-सामने रहने वाले हैं। न ये बदलेंगे और न मैं बदलूंगा ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : खाली साइड बदल जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल : मैं वही तो कह रहा हूं कि साइड बदल सकती है, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। ...(**व्यवधान**)... उपभापति जी, यह Appropriation Bill लोक सभा से पास होकर राज्य सभा तक बड़े हिचकोले खाते हुए और डगमग करते हुए आया है। जब तक यह बिल पारित नहीं हुआ था, केन्द्र सरकार की जड़ें हिली हुई थीं। उसकी नैया भंवर में फंस गयी थी।

महोदय, वैसे तो वित्त मंत्री जी के 2010-11 के बजट की बिस्मिल्लाह ही खराब हो गयी थी, क्योंकि बजट प्रस्तुत करते समय विपक्षी पार्टियों, एन.डी.ए., आर.जे.डी., बी.एस.पी., एस.पी., सी.पी.आई., सी.पी.एम. और अन्य सभी दलों ने बजट का बहिष्कार किया था। यह भारत की संसद में पहली बार हुआ। यूपीए सरकार को अंदर और बाहर से जो दल समर्थन दे रहे थे, उन्होंने भी बजट का विरोध किया, क्योंकि वित्त मंत्री महोदय ने एक ही झटके में इस देश की जनता पर 40 हजार करोड़ का टैक्स थोप दिया। यूपीए सरकार के लिए वह एक बड़ा खतरनाक क्षण था। बजट पास होने की नौबत आने तक एक के बाद एक गम्भीर मुद्दे दोनों सदनों में उठते गये और दोनों सदन इन तूफानी मुद्दों में उलझ कर रह गये। आई.पी.एल., बी.सी.सी.आई. का वीभत्स एवं विकृत रूप देश की जनता ने अपनी आंखों से देखा। इस देश ने इसमें आकंठ डूबे और फंसे बड़े राजनेताओं, सिनेमा, स्टार्स, औद्योगिक घराने, विदेशी इन्वेस्टर्स की ब्लैक मनी के तांडव नृत्य देखे। इसी बीच, महंगाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में ...(**व्यवधान**)... आपको कुछ कष्ट हो रहा है क्या?

सुश्री मैबल रिबैलो (झारखण्ड) : मैंने यह कहा कि सब राजस्थान के ही हैं। मंत्री जी राजस्थान के हैं, आप राजस्थान के हैं, ...(**व्यवधान**)... आई.पी.एल. के चेयरमैन राजस्थान के हैं, सब राजस्थान के ही हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल : अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। मेरे बाद जो मित्र बोलने वाले हैं, संतोष जी, वे भी राजस्थान के हैं।

सुश्री मैबल रिबैलो (झारखण्ड) : सभी राजस्थानी हैं!

श्री रामदास अग्रवाल : देश में महंगाई ने अपना जो विकराल और विराट रूप दिखाया है, उसके खिलाफ जनता ने दिल्ली में जाकर अपनी आवाज को सदन तक पहुंचाने के लिए, पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए, यहां प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के माध्यम से यह कोशिश की कि जो गरीब जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचे, लेकिन इस सरकार ने इन सारे शांतिपूर्ण आंदोलनों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

उपसभापति जी, मैं इस संबंध में आगे बात करूंगा, लेकिन संसद में जब IPL और BCCI का मुद्दा उठाया जा रहा था, उसी समय फोन टैपिंग का मामला भी सामने आया। यह सरकार की ऐसी * थी, जिसने देशवासियों को झकझोरकर रख दिया और राजनीतिक दलों को एमरजेंसी की याद आ गई। UPA की सरकार इन सारे विवादों के भंवर में फंसी थी, फिर भी लोक सभा में यह बिल पास करवाकर वित्त मंत्री जी यहां लाए हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि वित्त मंत्री जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, क्या मैं उसके लिए उनको धन्यवाद दूं या बधाई दूं?

उपसभापति जी, मैं वित्त मंत्री जी को अवश्य बधाई देता, लेकिन मेरे पास कारण है, इसलिए मैं उनकी सराहना नहीं कर सकता। लोक सभा में जब यह बिल पास होने के लिए आया था, उससे पहले जिस प्रकार की सौदेबाजी, जिस प्रकार की दबाव की राजनीति का उपयोग किया गया और जिस प्रकार से भारत की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी - CBI का दुरुपयोग करते हुए इस सरकार ने जो कारनामे किए, उनके कारण न केवल कांग्रेस के

*Expunged as ordered by the Chair.

दामन पर दाग लगा है, बल्कि लोकतंत्र के ऊपर भी कलंक लग गया है। हमें यह उम्मीद नहीं थी कि सरकार CBI जैसी संस्था का उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए करेगी। इसलिए मैं कांग्रेस के महानुभावों से कहना चाहता हूं कि कम से कम अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इन इंस्टीट्यूशंस को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा न करिए, इसकी जो credibility और उपयोगिता है, उसको देश के लिए रहने दीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

उपसभापति जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पहले बहुत से लोग बजट का विरोध कर रहे थे और दम ठोंककर, छाती ठोंककर कह रहे थे कि महंगाई की वजह से जनता परेशान है, इसलिए हमें जनता की आवाज बुलंद करनी है। ये सारे नेता बड़े जोर-शोर से बोल रहे थे। सरकार के साथ जिन पार्टियों के लोग थे तथा जो लोग सरकार का विरोध कर रहे थे, वे सब चीख-चीखकर बोल रहे थे कि यह बजट जन-विरोधी है, यह बजट जनता के लिए त्रास पैदा करने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या गुल खिला या हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कौन सा वित्तीय ताप इन लोगों तक पहुंचाया, जिसके कारण ये फौलादी लोग, जो संसद में खड़े होकर बजट के खिलाफ बातें कर रहे थे, ये बर्फ के पानी की तरह पिघल गए। क्या हुआ, भगवान जाने, क्या सौदेबाजी हुई, भगवान जाने, लेकिन यह बात सच है कि परदे के पीछे जरूर कोई हरकत हुई है, जरूर कोई सौदा हुआ है, जरूर कोई खरीद-फरोख्त हुई है, क्योंकि उसका प्रमाण है ...(**व्यवधान**)...

सुश्री मैबल रिबैलो : हमको बताइए, हम समझना चाहते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मैबल जी, आप बैठिए।

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL (Gjuarat): This House cannot discuss what happened in the other House.

श्री रामदास अग्रवाल : उपसभापति जी, मैं कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL : You are elders; you decide.

श्री रामदास अग्रवाल : उपसभापति जी, इतना ही नहीं हुआ है ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए, बेचैन मत होइए। जब आपके * की परतें खुलती हैं, तो उसे बड़ी शांति से सुनने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि आपने लोकतंत्र पर जो पाप और कलंक लगाया है, मैं उसका दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। महोदय, एक बेचारे आदिवासी, जो मुख्य मंत्री थे, को मनमोहनी ने, मनमोहनी की माया ने न जाने किस प्रकार से ग्रस्त किया कि आज भी तड़प-तड़प कर रो रहा है। उसको क्यों फंसा दिया और किसने फंसा दिया, हमारे सामने यह जानने का सवाल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की खरीद-फरोख्त करके सरकारें बचाने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रही है। महोदय, मैं आपके सामने इसके लिए दो छोटी लाइन पढ़ना चाहता हूं:

*Expunged as ordered by the Chair.

"खेल खेलो अगर सियासत का,

मुल्क की आबरू से मत खेलो"

जो करना है, वह कीजिए, मगर मुल्क की आबरू से मत खेलिए। यह बड़ा खतरनाक गेम है। राजनेताओं का खरीद-फरोख्त करना बड़ा गलत काम है। इन्हीं कारणों से लोकतंत्र की हत्या होती है, इसलिए इसको बचाइए।

महोदय, कांग्रेस की सरकार जब-जब संकट में फंसती है, मैंने देखा है, मैं स्वयं भी मेंबर रहा हूं, नरसिंह राव जी की सरकार के समय भी मैं मेंबर था, जब वह सरकार अल्पमत में आई, तब MPs के घरों में बोरों के भरे नोट मिले थे। यह आप सबने देखा और सुना है। महोदय, जब पिछली बार मनमोहन सिंह जी की सरकार संकट में आई थी, तो संसद में ही नोटों की बरसात हुई थी। फिर जब अभी बजट के समय यह सरकार संकट में आई, तो इन्होंने अपनी सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए सौदेबाजी करके अपनी सरकार को बचाया है। यह लोकतंत्र को लांछित किया है, नैतिक मूल्यों की अवमानना किया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (उत्तराखण्ड) : महोदय, मेरा निवेदन इतना है कि मैं इतनी देर से सुनना चाहता हूं कुछ प्रोजेक्टेड बात हो, बजट पर कुछ चर्चा हो, लेकिन यह नहीं हो रहा है। यह तोता-मैना का किस्सा हम लोग कब तक सुनेंगे। बजट पर कुछ बात करते ही नहीं हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल : उपसभापति महोदय, मुझे क्या बोलना चाहिए, यह मैं कभी उनके घर जाकर सीख कर आऊंगा ...(**व्यवधान**)... महोदय, जब एप्रोप्रिएशन बिल या फाइनेंस बिल आते हैं, तो इसमें स्वाभाविक है कि पिछले दिनों बजट के दौरान जो घटनाक्रम हुए हैं, वे सब इसके संदर्भ में हुए हैं, इसलिए उस पर बात करना हमें असंदर्भित नहीं लगता है। यह बात करना समयानुकूल है और आवश्यक है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की है ...(**व्यवधान**)...

महोदय, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि देश की जनता देख रही है। देश की जनता ने पिछले दिनों देखा है कि इन सब मामलों में beneficiaries कौन-कौन हुए, चाहे पर्दे के पीछे से हुआ, चाहे सीबीआई से हुआ, चाहे किसी प्रकार का वित्तीय ताप प्राप्त हुआ, लेकिन ये सब जनता देख रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इन सारे beneficiaries को जनता कभी न कभी अच्छा पाठ पढ़ाएगी। हमारे देश के राजनेताओं में मैं भी शामिल हूं, मैं राजनीतिक दृष्टि से अपने को अलग नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके सामने चार लाइन कहना चाहता हूं,

"हमको क्या हो गया खुदा जाने,

है यह तालिम किन किताबों की।

फसलें बोते हैं पत्थरों की,

मांगते हैं दुआ गुलाबों की।"

गुलाबों की दुआ मांग रहे हैं और काम ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें कांटे-कांटे ही बोने का काम हो रहा है ...(**व्यवधान**)... महोदय, अब मैं चतुर्वेदी साहब जो कह रहे थे, उस पर आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में जीत

हासिल की। और यह कहा कि हमें बहुत बड़ा बहुमत मिला, नहीं मिला, लेकिन हां, सरकार बनी। उपसभापति महोदय, इन्होंने देश की जनता से वायदा किया था कि हम आपको रोजगार देंगे, रोटी देंगे, मकान देंगे, कपड़ा देंगे, सुविधाएं देंगे, आपकी उन्नति करेंगे। यह भी कहा गया था कि हम इस देश के गरीबों के लिए हैं। "आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ" - ऐसा कहा गया था। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज देश की जनता इस महंगाई के कारण परेशान है, जो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है, हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ती जा रही है, जिस पर किसी की लगाम नहीं, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं। ऐसी महंगाई से जनता त्रस्त है, परेशान है, सारा घर-गृहस्थी का बजट गड़बड़ा गया है। ऐसे मौके पर कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी वायदे को भुलाकर महंगाई के इस दौर में जो संवेदनशीलता प्रकट करनी चाहिए थी, इस बजट में वह संवेदनशीलता प्रकट नहीं की। जैसे हमारे यहां कहा जाता है कि जब कोढ़ में खाज हो जाती है, तो कोढ़ में खाज हो जाने से पेशेंट की तकलीफ बहुत बढ़ जाती है, वैसे ही इन्होंने इस बजट में 40,000 करोड़ रुपए के टैक्स लगाकर कोढ़ में खाज का काम किया है और लोग जो उस परेशानी से मुक्त होना चाहते थे, वहां इस यू.पी.ए. की सरकार ने इतना भारी भरकम बोझ डालकर उन्हें बता दिया कि तुमने वोट दिया था, यह भूल जाओ, अब हम राज कर रहे हैं। राजसत्ता के मद में हमने तुम्हारे ऊपर 40,000 करोड़ का टैक्स लगाया है, उसको भुगतो। महोदय, यह तो गरीबों को गरीब करने का काम हो रहा है। गरीबों के ऊपर अनाचार, अत्याचार बढ़ रहा है। उनकी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और वे गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए मैं फिर आपके सामने चार पंक्तियां कहना चाहता हूं, जो किसी कवि ने कही हैं-

"यह गरीबों की कब है दिवाली,

जश्न है यह तो बस अमीरों का।

उनकी महफिल की रोशनी के लिए

खून जलाया जाता है बस गरीबों का।"

उपसभापति महोदय, महंगाई का जो शत्रु है, वह देश को निगल रहा है। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : आपकी पार्टी से एक सदस्य और बोलेंगे, इसका ख्याल रखें।

श्री रामदास अग्रवाल : आप जब तक आज्ञा देंगे, तब तक बोलूंगा। ...(**व्यवधान**)... महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर महंगाई को कम करने का संकल्प आपके मन में होता, तो पार्टी का कोई भी नेता, सरकार का कोई भी मंत्री ऐसे गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं देता, जो इस सरकार के मंत्री ने दिए। यह record पर है और मैं बताना चाहता हूं, एक मंत्री महोदय बोल रहे हैं - देश में चीनी का उत्पादन कम हो गया है - इससे चीनी के भाव बीस रुपए बढ़ गए। चार दिन बाद चीनी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने वक्तव्य दिया कि नहीं, यह वक्तव्य गलत है। मंत्री का यह वक्तव्य असत्य है। चीनी का उत्पादन 30 लाख टन है। 1,78,000 टन हुआ है, तो चीनी का भाव दस रुपए कम हो गया। महोदय, मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आपने 48 लाख टन चीनी साढ़े बारह रुपए किलो के हिसाब से एक्सपोर्ट की? किसने कहा था? आपने कर दी और जब चीनी की कमी हुई, तो फिर साढ़े बाईस रुपए से लेकर बत्तीस रुपए किलो तक की चीनी इस देश में आयात की गई। महोदय, यह क्या है? क्या यह सरकार के इस संकल्प को दिखाता है कि वह वाकई महंगाई के प्रति संवेदनशील है या वह

वाकई महंगाई को कम करना चाहती है? मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार महंगाई को कम करने का इरादा नहीं रखती है। सरकार की ऐसी नीयत नहीं है और इसकी ऐसी नीति भी नहीं है। महोदय, अगर इसी प्रकार से यह नीयत और नीति चलती रही तो मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जो लोग परेशान हैं, बीपीएल में हैं, जो लोग इस महंगाई के कारण प्रताड़ित हैं, वे सड़कों पर आ जाएंगे। इसलिए उनकी आवाज़ को सुनो, उनकी आवाज़ पर कान दो वरना एक समय ऐसा आएगा जब ये पीड़ित लोग शांतिपूर्ण आंदोलनों को छोड़कर सड़कों पर चले आएंगे और कोई क्रांति कर देंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर कोई सरकार इन लोगों को संभाल नहीं पाएगी। यह हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग संसद में बैठे हैं, यह हमारा काम है कि हम उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कोई काम करें और उन्हें राहत पहुंचाकर उन्हें शांति प्रदान करें, उनके मन में उठी हुई, भभकी हुई भावनाओं को रोकने की कोशिश करें, उनको राहत देने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, जिन मंत्रियों ने गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य दिए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यह इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी उन लोगों को किसी प्रकार से रोकना नहीं चाहती, क्योंकि उन लोगों की नीयत में फर्क है और उनकी नीति में दोष है। महोदय, मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं। ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा।

श्री उपसभापति : आप पूरा समय लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन एक और सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री रामदास अग्रवाल : उन्होंने मुझे अपना समय दे दिया। महोदय, देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। Rural population living below poverty line is now 41.8 per cent - यह रिपोर्ट मेरी नहीं है। यह तेन्दुलकर कमेटी की रिपोर्ट है। ये 42 परसेंट लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। इनके ऊपर कौन ध्यान देगा, कौन उनके उत्थान की, उनकी तरक्की की बात करेगा और कौन उनको इस भूख से, इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगा? यह सवाल हम सबके सामने बड़े विराट रूप में, विकराल रूप में खड़ा है। महोदय, मैं एक और प्वाइंट आपके सामने लाना चाहता हूं। हमारे यहां पर वायदा ट्रेडिंग चलती है, National Commodity & Derivatives Exchange Limited बना हुआ है। इसके फिगर्स सुनकर आपको ताज्जुब होगा - फिगर्स देखकर नहीं, सुनकर आपको ताज्जुब होगा। वहां पर एक साल में 8 लाख करोड़ रुपए की वायदा ट्रेडिंग हुई जबकि वास्तविक डिलीवरी केवल 22 सौ करोड़ रुपए की हुई, यानी वास्तव में लेन-देन केवल 22 सौ करोड़ रुपए का, लेकिन सट्टेबाजी का सौदा 8 लाख करोड़ का हुआ। अगर इन चीजों पर इतना भयानक व्यापार होगा तो क्या कीमतें रोकी जा सकती हैं? क्या कीमतों पर नियंत्रण हो सकता है? आज सीमेंट के दाम कितने बढ़ गए हैं, स्टील के दाम कितने बढ़ गए हैं, लेकिन कोई इसको रोकने की कोशिश नहीं करता है। वायदा व्यापार पर नियंत्रण लगाने के लिए इस सदन में कई बार चर्चा हुई, लेकिन आगे कदम नहीं उठता है। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी या यूपीए की सरकार किसी भी प्रकार से महंगाई को कम करने के लिए तैयार नहीं है। महोदय, मैं एक और विषय

पर कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। परसों जब यह Appropriation Bill पास हुआ तो स्वयं वित्त मंत्री जी ने आईपीएल और बीसीसीआई के बारे में अपने भाषण में कहा। मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि देश की जनता ने उनके सारे काले कारनामों को देख लिया है, सुन लिया है और समझ लिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। महोदय, आईपीएल, बीसीसीआई, क्रिकेट गेम, खेल-कूद, नाच-गाना - जो भी हो रहा था, वह सब सामने हो रहा था।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : Appropriation सही हो रहा है, misappropriation नहीं हो रहा है।

श्री रामदास अग्रवाल : क्या आप अभी से यहां पर appriciate करने लग गए? आप appriciate कर रहे हैं तो अलग बात है। उपसभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह सब खेल हो रहा था, यह कोई पर्दे के पीछे नहीं हो रहा था, सारा खेल पब्लिक के सामने था और मीडिया में था। कौन-कौन कर रहे थे, यह भी मालूम था, किन-किन के फ्रेंचाइज थे यह भी मालूम था, किन-किन का इंवेस्टमेंट हो रहा था, कौन सिनेमा स्टार था, कौन उद्योगपति था, कौन राजनेता था यह सब को मालूम था। उपसभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जब तक श्री थरूर और सुनन्दा का नाम क्रिकेट के इस गंदे खेल में नहीं आया तब तक यह सरकार सोती रही, उसने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? अजीब बात है कि सारा तांडव नाच हो रहा था, यह सारा खेल हो रहा था, सारे खेल के अंदर बदबू फैल गई, लेकिन इनका इंकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनका एक्साइज डिपार्टमेंट, इनका एंफोर्समेंट डॉयरेक्ट्रेट और बाकी की इंटेलिजेंस एजेंसी क्यों नहीं सक्रिय हुई? उन्होंने पहले से क्यों नहीं जांच की? जांच न करने का कारण है। अभी भी वित्त राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, वे अपने मन में जानते हैं कि इन सब लोगों की जांच करना शायद बी.सी.सी.आई. के बस की बात नहीं थी, शायद इंकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों के बस की बात नहीं थी। उन्होंने जांच नहीं की, बिल्कुल नहीं की। अगर कोई हम जैसे व्यापारी होंगे तो उनके घरों पर सर्वे होगा, इंकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होगी और वहां से कुछ जब्त कर लिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह सब जानने के बावजूद अगर एक व्यापारी के घर में आप जा सकते हैं, आप रेड कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं तो क्रिकेट के खिलाड़ियों और क्रिकेट से संबंधित जितने लोग थे, उनके घरों में क्या आज से पहले, इस इश्यू के उठने से पहले, आपने एक भी जगह रेड की या सर्वे किया या उनको आर्थिक अपराधों के कारण कोई सजा दी? क्यों नहीं दी? उपसभापति महोदय, मैं जानता हूं यह नहीं देंगे। उपसभापति महोदय, इसीलिए मैं यह विषय उठा रहा हूं। यह सारा क्रिकेट का जो बदबू भरा खेल हमको दिखाई दे रहा है इसके अंदर कहीं न कहीं फिर से समझौते होंगे, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े लोग फंसे हैं, उनकी जांच करना इंकम टैक्स ऑफिसर्स के बस की बात नहीं है। उपसभापति महोदय, इंकम टैक्स डिपार्टमेंट के ये ऑफिसर्स इनकी जांच करके क्या आपको रिपोर्ट देंगे? उनकी क्या औकात

है, उनकी क्या क्षमता है, वे बेचारे उनके सामने गरीब हैं जिनके यहां ये रेड मारने जा रहे हैं या जिनकी इंक्वायरी कर रहे हैं। उपसभापति महोदय, अगर ईमानदारी से देश की जनता के सामने इस हजारों करोड़ के लेन-देन के कच्चे चिट्ठे को सामने लाना है, हजारों करोड़ की काली मनी को सामने लाना है तो सारे विपक्षी दलों की यह स्वाभाविक मांग थी, जिसमें सी.पी.एम. व बाकी सब लोग थे, कि इसकी जांच करने के लिए एक जे.पी.सी. का गठन करना चाहिए। तभी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा, अन्यथा फिर कहीं न कहीं समझौता हो जाएगा और कहीं न कहीं समझौता होकर दाल में काला दाल सामने ही रह जाएगा।

उपसभापति महोदय, मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं। मैंने एक क्वेश्चन के जरिए कुछ तथ्य लिए थे कि आउटस्टेंडिंग ड्यूज़, इंकम टैक्स, एक्साइज़ और कस्टम टैक्स के करदाताओं के विरुद्ध कितने टैक्स की आउटस्टेंडिंग है? उपसभापति महोदय, मुझे आधिकारिक जानकारी दी गई थी कि इन टैक्स देने वालों पर 1 लाख 98 हजार करोड़ रुपया बाकी है। कारपोरेट सैक्टर पर 133 लाख करोड़ और प्राइवेट इंडिविज्युअल मेंबर करदाताओं पर 65 हजार करोड़ रुपए है। इस प्रकार 1 लाख 98 हजार करोड़ रुपया सरकार का इन टैक्स देने वालों पर बाकी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कोई न कोई ऐसा मकेनिज्म बनाइए, ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए कि जो यह ड्यूज है वह आए। मैं मानता हूं कि सारा ड्यूज आने वाला नहीं है, कुछ कम होगा और कुछ एडजेस्टमेंट होगा। आप छोटे-छोटे मामलों में हाउस टैक्स वगैरह में छूट दे देते हैं कि एक टाइम में सैटलमेंट कर दो, एक टाइम में निबटा दो, और इसका सैटलमेंट करके टैक्स का पेमेंट कर दो, इंस्टालमेंट में दे दो, लेकिन रास्ता निकालते नहीं, क्योंकि एक लाख 33 हजार करोड़ रुपया इन बड़ी मछलियों पर बाकी है। इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करे? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय से कि आपके पास अथाह सम्पत्ति है, जो आपको आनी है, आप उसकी कोशिश करिए और उस टैक्स को किसी प्रकार समझौता करके, कम्प्रोमाइज करके प्राप्त कीजिए। इंकम टैक्स में कम्प्रोमाइज का सिस्टम है, इंकम टैक्स के अंदर और भी प्रकार की किसी व्यवस्था है जिससे इन सब का सैटलमेंट वन टाइम में हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है और यह रुपया बढ़ता जा रहा है।

उपसभापति महोदय, अंत में एक विषय और है, अभी पिछले दिनों जब चुनाव हो रहे थे, उस समय देश के अंदर एक बवाल मचा था, विदेशी बैंकों में भारत का 6 लाख करोड़ रुपया जमा है। महोदय, चुनाव हो गए, उस समय सभी लोगों ने, रूलिंग और अपोजिशन की पार्टियों ने यह दावा किया था कि हम सत्ता में आएंगे, तो हम इस धनराशि को जो स्विस बैंक में या अन्य कहीं पर जमा है, इसको निकाल कर अपने देश में लांएगे। इस सरकार को भी डेढ़ साल होने जा रहे हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इस सरकार से जब प्रश्न किया जाता है, तो उत्तर में यह कहा जाता है कि इसमें संवैधानिक कठिनाई है, इसमें वैधानिक कठिनाई है, इसमें

राजनयिक तौर-तरीकों की कठिनाई है, इसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, कठिनाइयों के बहाने से चीजों को टाला जाता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप कम से कम ऐसी कोशिश करिए जिससे देश के लोगों के मन में विश्वास पैदा हो और उसके संबंध में लोगों को जानकारी मिलती रहे कि आखिर यह रुपया गया है, तो कहां पर गया है और यह कैसे वापिस आ सकता है, इसके लिए आप प्रयास करें। आप दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात करेंगे, उनके देशों में जाएंगे, तो कोई न कोई रास्ता इसके लिए निकल सकता है। लेकिन जहां इच्छा शक्ति नहीं है, जहां पर संकल्प नहीं है, जहां पर भावना नहीं है, तो रास्ता कैसे निकलेगा। अगर इसी तरह से चलता रहा, तो सैंकड़ों साल तक देश का रुपया वापिस नहीं आ सकता है।

उपसभापति महोदय, अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने इन्कम टैक्स एक लाख 60 हजार पर ऐकजेम्ट किया है, इसको आप दो लाख रुपए कर दीजिए, इसमें आपका क्या बिगड़ने वाला है। आपने दस लाख वालों को बहुत राहत दी है, कम से कम दो लाख वालों को ज्यादा राहत दे दो। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने पेट्रोल, डीज़ल का जो रेट बढ़ाया है, वह बहुत ज्यादा है, आप इसको कम करिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप इनका रेट कम करेंगे, लेकिन आप यह हमारे कहने से कर दीजिए। इसका हमको श्रेय मिल जाएगा, आप इस चक्कर में मत रहिए, आप रेट कम कर दीजिए। इनको रेट कम करना है, लेकिन अभी तक नहीं कर रहे हैं। पता नहीं, क्यों हमारा जी घोटना चाहते हैं, पता नहीं क्यों हमारा कंठ दबाना चाहते हैं, पता नहीं वित्त मंत्री महोदय, ऐस क्यों करना चाहते हैं?

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त करिए।

श्री रामदास अग्रवाल : उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक विशेष बात कहना चाहता हूं। यह व्यक्तिगत बात है।

श्री उपसभापति : आप व्यक्तिगत बात नहीं बोल सकते हैं।

श्री रामदास अग्रवाल : उपसभापति महोदय, व्यक्तिगत मायने यह मेरे सार्वजनिक जीवन से संबंधित बात है। आज का दिन मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। इनके तीन कारण हैं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। हमारे पुराने तथा नए वित्त मंत्री जी ने मेरी बात को ध्यान से सुना है। दूसरा, मेरे लिए खुशी का अवसर है कि 55 साल पहले मैंने एक लड़की से शादी की थी, वह शादी का दिन आज है।

श्री उपसभापति : आपको मुबारक हो।

श्री रामदास अग्रवाल : उपसभापति महोदय, आप इस बात को एप्रिसिएट कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि मैंने एक ही पत्नी को 55 साल निभाया है। तीसरी बात यह है कि आज के दिन ही, मैंने 50 साल पहले राजनीति में प्रवेश किया था, इसलिए मेरी राजनीति के 50 साल भी आज पूरे हुए हैं। इसलिए मैं चार लाइन की एक छोटी सी कविता सुनना चाहता हूं। यह मेरा दर्द नहीं है, यह जनता की भावनाओं का दर्द है, जो मेरी कविता में है। मैं ज्यादा कविता नहीं लिखता हूं, लेकिन कभी-कभी लिखता हूं। मैं इस कविता को आपके सामने पढ़ रहा हूं,

"सबसे अच्छे साथी हैं, दर्द-भरे ये घाव मेरे।

साथ जिए हैं, साथ जाएंगे, कितने प्यारे घाव मेरे।

व्यक्त नहीं की पीढ़ा अपनी, इन हंसते जख्मों को देखो,

स्नेह में जलते, प्यार में जलते, बिना स्नेह के दीपों को देखो,

सबसे अच्छे साथी हैं, दर्द-भरे ये घाव मेरे।"

धन्यवाद।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Sir, I stand here to support the Appropriation (No.2) Bill, 2010 which seeks to defray the expenses towards 105 services and purposes to the extent of Rs.46,61,038 lakh crores. The Indian economy and the country stand on a very high footing and the Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee, has brought it to a further height. He is seen as an icon of the Indian economy, not by the industrialists and the businessmen but by the common man, the masses of the country. People have got high hopes about our Finance Minister. Therefore, we have this Budget of a bigger and greater potential.

Sir, the day before yesterday we met a European Delegation of Members of Parliament. They were very impressed by the manner in which we had tackled our economy despite the recession. They expressed the view that they would like to learn from our Government. This is the state of affairs and not what Mr. Ramdas Agarwal has said. Agarwalji has painted a very bad picture of our country. He has cited the example of Tharoorji and Modiji. We will come to know after the investigation to which Modi he has referred to, which party he belongs to, who the people behind this scam are, which political forces are behind this scam and who this Modi is. ...*(Interruptions)*... I am not referring to the other Modi. That will come out eventually. The other day when his name was mentioned all of you got up. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Naik, please avoid names.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: The name Modi is not unparliamentary.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. Please follow the convention. Don't take the names of those who can't defend themselves here.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Earlier, ten years ago or fifteen years ago, we were greatly worried about black money. The black money was affecting us substantially because a lot of black money was generated in the economy through smuggling of gold and other materials. Today, that is

taking place in the form of IPL. From the manner in which money is generated in the system, it is not a game. It is a parallel economy which is going. A team is purchased at a cost of Rs.1,700 crores! Therefore, this parallel economy, irrespective of any political party, has obviously to be investigated. Today, we know "X" is the owner of a particular company or "Y" is the owner of a particular company. But after one or two years we will come to know that Shilpa Shetty is not the owner of the team or Preity Zinta is not the owner of the team. They are potential names. They are owners of companies. They are registered companies.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You take the name of the companies. Don't name the persons.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Therefore, I am entitled to name them. There is nothing wrong in it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is your view.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: A Chairman of a company stays in a hotel paying a rent of Rs.10 lakhs to Rs. 20 lakhs per day for the entire floor! What type of an economy it is! Who are behind this? We would like to know. You have referred to foreign money which is deposited obviously in foreign banks. इलैक्शन के टाइम आपके लीडर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो एक महीने के अंदर सब पैसा ला दूंगा। इतना * कोई कैसे कह सकता है? जिसको सिस्टम मालूम है, इंटरनेशनल लॉ मालूम है, इंडियन लॉ मालूम है, फिर इतनी * स्टेटमेंट कोई कैसे दे सकता है?

श्री उपसभापति : * शब्द अन-पार्लियामेंटेरी है। ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं * शब्द नहीं। ...(**व्यवधान**)... The word * is unparliamentary. Please do not say that.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, I have not taken the name. ...*(Interruptions)*... I have not mentioned who has said that. ...*(Interruptions)*... During elections false statements were made. But I have not said who had made. They know it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am saying the word * is unparliamentary.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Please understand the Indian laws. भारत के कायदे कानून जान लीजिए कि यह चीज क्या है? अगर फॉरेन से वे लोग मनी लाएंगे तो बोलेंगे, उसमें कौन एक्सपोज हो जाएंगे, क्या आपको मालूम है? मैं नाम नहीं बता रहा हूं। नाम बताएंगे तो आपके जो पहले लीडरान थे, जिनकी मनी वहां पर है, वे आ जाएंगे। सर, दूसरी बात है ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल) : सर, इनकी सी.बी.आई. के साथ कोई हॉटलाइन है?

श्री उपसभापति : सी.पी.आई.?

*Not recorded.

श्रीमती वृंदा कारत : सी.बी.आई.।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, I would like to congratulate the hon. Finance Minister for providing in the Budget a Commission or a Committee for scrutinizing all the laws and regulations connected with finances. It has been done for the first time. We have the Law Commission for examining other laws and regulations. For the first time, there will be a Committee which will scrutinize legislations and laws connected with finances. Therefore, I urge upon the Finance Minister to constitute such a Committee at the earliest because this Committee will deal with banking regulations and finance rules which govern our administration. Sir, these finance rules regulate the day-to-day clearance of projects and clearance of files. These activities will be covered by that. Therefore, these rules need to be amended and simplified. For this purpose a Committee is required. Apart from that, there is the necessity of simplifying our day-to-day legislations. We have hardly amended any law in this Session. There is no time left. This Session will be over in a few days. According to my own estimate, there are, at least, 500 legislations, which require small, small amendments to make them more useful for the society. I will urge upon the Government to identify those legislations which require amendment for better implementation of these laws. If need be, a special Session should be called to amend these legislations.

Sir, very soon the Direct Taxes Code Bill will be coming before the House – it may come next year – which contains rationale provisions. The hon. Finance Minister has consulted all sections of the society for the purpose of enforcing the Direct Taxes Code. Therefore, I urge upon the Government to introduce the Direct Taxes Code Bill at the earliest which will rationalize the tax system.

So far as FDI is concerned – I am not going into exhaustive aspects of it – I would like to mention one aspect. We have introduced the Commercial Division of High Courts Bill to provide a special division for commercial litigation. There are two sides of this. Some people say that why a particular class should be treated separately. The point is these commercial divisions will tackle litigations of commercial nature. FDI is coming to India. If those people get trapped in litigation for years together, no FDI will come to India. So, these special divisions are being contemplated for this purpose. The question is: why not other sections of the society? We have been doing this for all these years. There are tenancy laws; there are Tehsil Courts and District Courts. As far as Rent Control is concerned, the Rent Control Tribunals are there. So, as far as the judicial system is concerned, we have been dealing with common people separately for the last 30-40 years. Therefore, this legislation will go a long way in attracting Foreign Direct Investment.

As regards Central scheme, which is a very important part of our economy, my submission is this. We should either have 100 per cent allotment of funds for Central schemes, or, we should not have it at all. Today what happens is that we say, "We are introducing a Central scheme on a 50-50 basis". It means that 50 per cent is to be shared by the State Governments. We presume that they have got 50 per cent money to be allotted to these schemes. We take it for granted. We do not even take their consent. Therefore, many Central schemes are suffering. Our Right to Education Bill also will suffer, to a great extent, because many States are saying that they are not willing to contribute since they do not have funds. Similarly, model schools; again, we presume that they will be contributing money. Therefore, there should be a total revision of policies as far as the Central Government schemes are concerned because we should not presume that States have got funds for contributing to these schemes. If we presume this and go ahead, then, our schemes would fail. There are certain schemes which we can fund fully.

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. RAM GOPAL YADAV) in the Chair]

In the Budget presented by the Finance Minister, he has provided for more banking licences in rural areas which are not covered. I will urge upon the Government that this should be expedited because the banking network has to be increased and spread to other areas. Similarly, a lot of funds are going to Self-Help Groups. Today we give money to Self-Help Groups just without any records. Let there be proper registration of Self-Help Groups under the Societies Act. The terms and conditions could be flexible. These need not be strictly adhered to. But registration of Self-Help Groups is required because, ultimately, crores of rupees of our Budget will be distributed, in future, among Self-Help Groups. Therefore, something of this nature is required.

As far as SEZs are concerned, the Finance Minister has said that in the first quarter of 2009-10, the SEZs have recorded 127 per cent growth as compared to the corresponding period last year. Now, this may be true in case of certain SEZs. I will give examples. As far as my State, Goa, is concerned, my State initially agreed to SEZs. But when we realized the intention of some of the developers, we said that we did not require any SEZ. What they do is, they come to a State, like, Goa; they will ask for land ten times more than their requirements. Thereafter, if their unit fails, they do not mind it. They get this precious land. You can imagine what that means. And, if they are told, "Please give in writing that you will employ local people in your factory", they are not giving it. So, they are not giving any undertaking that they will employ local people, and, they are asking for land 10 times more than their requirement. Therefore, we have sought for denotification of these SEZs. And,

our request to the Commerce Minister is pending. But other States might require SEZs; I wish them all the best. But let them also be cautious that in the case of each SEZ, an agreement must be obtained from the developers that they would employ people from that State. Otherwise, under some pretext or the other, they will say, "People from the 'A' State are not eligible to be employed. Hence we will bring people from 'B' State." That should not be permitted. Local people will not tolerate it. Therefore, this aspect should be taken into consideration.

Then, Sir, in the Appropriation Bill, finances are also allotted to Union Territories. I want to take up their cause for the simple reason that Goa, once upon a time, was a Union Territory. Now, what is the status of Union Territories like Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands? There is an Administrator who is advised by a Council. What is the Council? The Zilla Panchayat, which is elected, is treated as the Council.

They give advice to the Administrator. The Administrator, by and large, does not accept the advice tendered by the Council. The Council is helpless. Therefore, there must be an amendment made in the legislation which governs Union Territories that the advice given by the Advisory Council should be binding on the Administrator. Just as the advice given by the Council of Ministers in a State is binding on the Governor, the advice given by the Council should be made binding on the Administrator. There is only one Union Territory which has an Assembly. Goa, which was being ruled by the Portuguese, had ultimately got the Statehood. Pondicherry was ruled by the French. Why should they not get Statehood? This is my humble submission on their behalf to the Government of India.

Lastly, Sir, I would like to reply to Agarwalji. वह कह रहे थे कि हमें देश की आबरू की चिंता नहीं है। जब आपके अध्यक्ष ने टेलिविज़न के सामने पैसे लिए थे, उस समय क्या आपको देश की आबरू की चिंता नहीं थी? आप देश की आबरू की चिंता की बात कैसे कर रहे हैं? जब आप ऐसी संस्था से डायरैक्शन लेते हैं और ऐसी संस्था के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचते हैं, संस्था * में बिलीव करती है ...(**व्यवधान**)... जो संस्था * में बिलीव करती है ...(**व्यवधान**)... ऐसी संस्थान से आप डेपुटेशन पर अध्यक्ष भी ले आए ...(**व्यवधान**)... उस समय आपमें कोई हिम्मत नहीं थी। आपके अभी के जो अध्यक्ष हैं, वह उस संस्था से डेपुटेशन पर आए हैं, जो संस्था * है। इस तरह से आप देश की आबरू की चिंता की बात करना छोड़ दीजिए और देश के काम में लगना शुरू कर दीजिए, हमारा हाथ बंटा दीजिए। Thank you very much.

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Sir, I would like to raise some important points regarding the Appropriation (No.2) Bill and the Appropriation (No.3) Bill.

*Expunged as ordered by the Chair.

Firstly, I would like to say that we fail to understand the priorities of the Government. What is the priority of the Government now? Is it to check the unprecedented price rise throughout the country or to give tax exemptions to the corporate sector? I think, perhaps, yesterday, the hon. Finance Minister, either in the other House or outside, said, and I quote, "indications of softening of food inflation are clearly visible. There has been a significant decline from the peak food inflation of over 20 per cent recorded in December, 2009 to 17.7 per cent in March, 2010". Sir, who feels this? We have heard the hon. Minister or the Government giving these deadlines many times before. Sometimes they say 'after two months'; sometimes they have said 'after six months'; sometimes they have said 'after 45 days'. But nobody says it with certainty whether the unprecedented price rise would be checked. In the meantime, what do we see in the market? This time, it is recorded that the rice prices have increased to the extent of 240 per cent; in case of dals, the rise has been to the extent of 400 per cent; in case of wheat, it is 280 per cent. In the meanwhile, the Government has increased the duty on petrol and diesel. The situation is bad and there is no point in denying it. It should be the duty and the priority of the Government to check the unprecedented price rise which the common people of our country are facing.

That was my first point. The Government had passed the FRBM Act in 2003. The Government enacted this Act in order to bring in some discipline in the financial system. But, what have we seen is, till date, there is financial imbalance. I have gone through the Appropriation (No.2) Bill. In that Bill, on page no.3, item no.36, there is a provision for payment of debt. The payment of debt is more than 50 per cent of the total appropriation. You are coming forward with the Appropriation (No.2) Bill in order to pay your debts, not to create any assets for the common man of this country. You could have made provisions for this in the Budget, which was presented in the first half of this Session. You have got many methods to collect revenue and capital. But, when we are talking about the off-Budget provisions, you are going to collect Rs.95,000 crores through the sale of oil bonds, fertilizer bonds, and the Government is acting as a guarantor in this. High debt repayment is obvious, so you are coming forward with the Appropriation Bill. You have not made any provision for it in the Budget. But, you are giving the order or acting as a guarantor, so far as these bonds are concerned. So, now you have to take this burden of bonds and this debt. My point is, the FRBM Act passed in 2003 is not yet effective today. So, this is my second point. On that, I would like to have a categorical assurance from the hon. Minister that the Government would do something to make the FRBM Act effective.

3.00 P.M.

Sir, my third point is about the Stimulus Packages. All of us have seen it in newspapers that the Government is in a mood now to wind up the Stimulus Packages gradually. Yes, this is the time when the Government should gradually wind up the Stimulus Packages given in different sectors. But, what are the components of the Stimulus Package? As far as my knowledge goes, there are three components of the Stimulus Package, *i.e.,* reduction of tax, implementation of Pay Commission Report and loan waiver. Gradually, you are winding up all. One important component of it was the loan waiver for farmers. It was a big issue throughout the country. The farmers appreciated it very much. There are many hidden things behind the loan waiver scheme. The Reserve Bank of India has published its Report about loan waiver scheme yesterday. As per that Report, till date, more than 50 per cent of our farmers are in debt trap. So, where is our economy going? Where are your Stimulus Packages going? You are bound to wind it up gradually. There is no other scope for you.

Thirdly, Sir, I firmly believe that there is an inherent structural imbalance in the Budgetary system. The Government should address this problem. There is no scope to adopt a piecemeal attitude in this regard. There are inherent structural imbalances in it. There is ample scope to enhance the direct taxes, but you are not doing this. If at all you are doing it, you are doing it inadequately. You have not adequately increased the direct taxes, or, you have indiscriminately given tax exemptions to the corporate sector. A glaring example of this is the IPL controversy which is going on.

It is a fact. When we are discussing about the Appropriation, things like IPL are not relevant. I have not gone into what IPL or sports is. The road to corporate sector is thrown open and they have enjoyed indiscriminate tax evasion. This is one of the important factors. Outside the Parliament, they make fun of it – "is it a sport of T20 cricket? It is not less than 420 cricket!" I am not blaming cricket, I love it very much. But, we have to address the issues involved in it. Why are you exempting the big houses from tax? This is a structural inherent problem in the Budget management. I appreciate the Finance Minister's attitude towards this and I firmly believe that the Government should do this, "Any wrongdoer will not be spared." I appreciate this attitude of the Finance Minister. He has told this. When there is discussion tomorrow or the day after, I would mention my appreciation to the Finance Minister. You are not increasing the direct taxes and exempt the

corporate houses of the corporate tax; but many essential subjects we are not going to touch, like employment generation, food security, etc.

My fourth point is on fiscal deficit. The highest fiscal deficit was in 2001-02. Everybody knows that it crossed the barrier of 10.5 per cent then. Then came 2003, with FRBM. Up to 2007-08, there was some discipline, but all the discipline was broken one fine morning; all discipline is going to the back benches. In 2009-10, we have seen again the deficit going more than 10 per cent. Who tells the Finance Ministry and the Government to address this problem and manage the Budget adequately? Who would tell this? I would say that the Government should manage the financial system adequately. The finance system should be for the poor people's benefit and not for the corporate sector.

My fifth point is, in the Budget Speech, the Finance Minister has told that there would be a road map to fiscal stabilization or a white paper. My question is, who would prepare this road map? Is it the Ministry? Would you include only economists in the process or there would be politics or there would be people's perception? Let that be in the public domain. This is my proposal. Let all the proposals be in the public domain. Take the experience of public finance experts. There is no dearth of public finance experts in our country. Take their experience. The Government has done a good job so far as the direct tax code is concerned. It is already in the public domain; anybody can send their suggestions, criticisms and proposals. So, in the same way, my proposal so far as the Appropriation (No.2) Bill and Appropriation (No.3) Bill are concerned, let the proposals be in the public domain, let the people give their suggestions and criticisms.

I would take just a minute to say my last point. The votes for the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Food and Civil Supplies are sought. The Ministry of Home Affairs seeks a sum from the Consolidated Fund of India. Why? For the last three years, if you have gone through the Plan Budget, they were not in a position to exhaust their Plan Budget. So, why are you drawing from the Consolidated Fund of India for the Ministry of Home Affairs? The same thing is happening with regard to the Ministry of Food and Civil Supplies. You are not having the Public Distribution System universally. Why are you going to draw from the Consolidated Fund for this Ministry?

Sir, I support this Appropriation (No.2) Bill and Appropriation (No.3) Bill. With this criticism, I hope that the Government will take an appropriate decision at an appropriate time so far as the

economic management of the country is concerned. With these words, I conclude my submission. Thank you, Sir.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी ने सदन में जो विनियोग (संख्याक 2) और (संख्याक 3) विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उस पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात पर दुःख होता है कि जब आम जनता की भावनाओं पर विचार करना चाहिए, जब देश से गरीबी समाप्त करने की बात होनी चाहिए, तब सदन में IPL पर चर्चा होती है। मैंने तो सोचा था कि सदन में BPL और APL पर चर्चा होगी, क्योंकि Below Poverty Line and Above Poverty Line, ये ऐसी दों लाइनें हैं कि करीब 70 प्रतिशत से अधिक आबादी इन्हीं में आ जाती है, लेकिन चंद पूंजीपतियों के IPL को हमने चर्चा का बिंदु बनाया। इस देश में फोन टैपिंग इसलिए कराई गई, ताकि विपक्ष की आवाज को बंद किया जा सके, तो मजबूरन हमें इन चीजों पर बोलना पड़ता है, जिन पर नहीं बोलना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार के बजट से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। इस बजट में उत्तर प्रदेश की जो उपेक्षा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री, बहन मायावती जी ने यद्यपि इस बजट को समर्थन दिया तथा हमने इस बजट को लोक सभा में पास करवाया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम आपकी नीतियों से सहमत हैं। मैं तो कहूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, यह देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और आप भी उसी प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन बजट में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई है, क्या यह उचित है? मैं बड़ा हर्षित होता, बड़ा गौरवान्वित होता हूं कि देश के अधिकांश प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश से ही हुए। आज भी मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ही देश को चला रहा है, क्योंकि UPA की चैयरमैन, श्रीमती सोनिया गांधी भी उत्तर प्रदेश से चुनकर आई हैं, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जो हालत है, क्या हम इस पर विचार नहीं कर सकते?

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि आजादी के 63 सालों के बाद भी, आज हिंदुस्तान, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गरीब देशों में पहले नंबर पर है। यानी हम अफ्रीकी देशों से भी ज्यादा गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं, जब कि हम आर्थिक उदारीकरण की बात कर रहे हैं। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि 1981 से 1990 के बीच इस देश की गरीबी कुछ दूर हुई, GDP की ग्रोथ भी हुई, हमारी economic position भी अच्छी हुई, लेकिन 1991 के बाद, जब से इस देश में उदारीकरण का दौर चला, तो चंद घरानों को तो लाभ मिला, लेकिन देश में गरीबी बढ़ती चली गई। कल मैं सदन में उपस्थित नहीं था, कल मुझे आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के कार्यकरण पर बोलना था। मैं उसके आंकड़े देख रहा था। तेंदुलकर समिति ने रिपोर्ट दी कि इस देश में गांव में रहने वाला व्यक्ति, जिसकी मासिक आय 360 रुपए है, वह गरीबी रेखा में नहीं माना गया, उसे अमीर मान लिया गया और उसकी गरीबी दूर हो गई।

(उपसभाध्यक्ष (प्रो पी.जे. कुरियन) पीठासीन हुए)

शहर में रहने वाला व्यक्ति, जिसकी मासिक आय 560 रुपए हो गई, उसको भी गरीब नहीं माना गया। क्या 360 रुपए प्रति माह या 560 रुपए प्रति माह आमदनी में आज किसी का परिवार चल सकता है? जब हम यहां BPL रुपए की बात करते हैं, तो तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं कि 360 रुपए प्रति माह या 560 रुपए प्रति माह की आमदनी वाला व्यक्ति इस देश में गरीब है या नहीं? आप इसमें सुधार की बात क्यों नहीं करते हैं? सभी को यह अपेक्षा थी कि वित्त मंत्री जी, लोक सभा में छूट की तमाम घोषणाएं करेंगे, इस देश के गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए किसी छूट की घोषणा करेंगे, लेकिन यह कहीं नहीं दिखाई दिया। श्रीमन् एक और परंपरा बन गई है कि जब बजट पेश होता है, तब टैक्स नहीं लगाए जाते हैं और जैसे ही बजट पेश हो जाता है, उसके बाद अलग से टैक्स थोप दिए जाते हैं। इस बार भी जब बजट पेश हुआ, उस समय न तो पेट्रोलियम के दाम बढ़ाए गए और न ही किसान की खाद के दाम बढ़ाए गए, लेकिन बजट पेश होने के बाद जब बजट कमिटियों को चला गया, तो डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए और किसान के लिए उपयोगी चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, उनके भी दाम बढ़ गए। विगत 27 तारीख को तमाम दलों ने महंगाई के विरोध में "भारत बंद" की घोषणा की। इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम यह परंपरा तो समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि जब वर्ष का बजट पेश होता है, तो पूरे देश की जनता उसको सुनती है और पूरे देश की जनता की निगाह उस पर रहती है। इससे हमें पता लगता है कि साल भर का हमारा आय-व्यय का लेखा-जोखा क्या है, साल भर का खर्चा क्या है और हमारे देश की स्थिति क्या है। वित्त मंत्री जी ने तो घोषणा कर दी कि हम financially अच्छी स्थिति में हैं। इस वर्ष हमारी ग्रोथ 7.1 परसेंट होने की संभावना है। हमने जीडीपी ग्रोथ को 8 परसेंट से ऊपर माना है और हमारी यह अपेक्षा है कि जिस दिन हमारी जीडीपी की ग्रोथ 10 परसेंट पहुंच जाएगी, तो यह देश विश्व के उन देशों की श्रेणी में पहुंच जाएगी, जो आज अमीर देश कहलाते हैं, लेकिन सत्यता क्या है। मैंने अभी आपके सामने विश्व बैंक की रिपोर्ट का उदाहरण दिया कि विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में हिन्दुस्तान को विश्व का सबसे गरीब देश माना है। आजादी के 63 वर्ष बाद जब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च होने के बाद हर साल बजट में तमाम घोषणाएं करते हैं, हमने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट बना रखा है ...(**समय की घंटी**)... श्रीमन्, अभी तो शुरूआत हुई है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Only one minute is left.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : श्रीमन्, थोड़ी सीमाओं से बाहर तो निकलने दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : What can I do? It is displayed on the board.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : श्रीमन्, कल पावर मिनिस्टर पावर सैक्टर की मीटिंग ले रहे थे। मैंने सोचा कि पावर मिनिस्टर कुछ घोषणा करेंगे। जब मैं उत्तर प्रदेश का पावर मिनिस्टर था, तो मैंने तत्कालीन प्रधान मंत्री के सामने इस बात को रखा था कि जब तक पूरे देश में बिजली की एक रेट नहीं होगा, तब तक पावर सैक्टर में सुधार नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना था। वैसे तो पावर स्टेट का विषय है, लेकिन तमाम राज्यों में बिजली की दरें अलग-अलग हैं, चाहे ग्रामीण अंचल की हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे घरेलू इस्तेमाल की हो, चाहे इंडस्ट्रियल बिजली हो। रेट अलग-अलग होने के कारण आज देश में बिजली की यह स्थिति है। मैं निश्चित तौर ये कह सकता हूं कि जब तक देश में infrastructure को develop नहीं किया जाएगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। आज विश्व में जितनी भी कंट्रीज ने develop किया है, पूरे यूरोप में चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, उन्होंने पहला अपना infrastructure develop किया, तब उनका देश develop हुआ है। आज हमारे देश में यह स्थिति है कि आज भी रेल की स्पीड 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा है और रोड की स्पीड भी इसी average में पड़ती है। जिस देश में रेल और रोड की स्पीड 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस देश में कितना विकास होगा? Infrastructure develop करने की कहीं कोई बात नहीं हो रही है, बजट में कहीं कोई ऐसी बात नहीं की गई है। हम सब मान रहे हैं कि देश में बिजली की बहुत कमी है, लेकिन उस कमी को दूर कैसे किया जाए, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हम उत्तर प्रदेश को गरीबी से अलग ले जाना चाहते हैं। अगर हमारी मुख्य मंत्री जी ने 80 हजार करोड़ रुपए की मांग कर ली कि हमको स्पेशल पैकेज दे दिया जाए, आप स्टेट को दे रहे हैं, आपने बिहार को स्पेशल पैकेज दिया है ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) **:** Agarwalji, you have to conclude. You have exhausted your time.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : श्रीमन्, मैं conclude कर रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हो रही है, मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे स्टेट की चाहे irrigation की स्कीम हो, चाहे पावर की स्कीम हो, चाहे रोड की स्कीम हो, चाहे हमारे स्टेट के विकास के लिए कोई और स्कीम हो, चाहे स्पेशल पैकेज की बात हो, जिस तरीके से उपेक्षा की गई, हम उसका विरोध करते हैं। हमने आपका बजट पास कराया, हमने आपका Finance Bill पास कराया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरे तरीके से आपके हाथों में चले गए हैं। ...(**समय की घंटी**)... हम आज भी एप्रोप्रिएशन बिल को पास कराने के लिए इसके पक्ष में रहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आज आप इस सदन में घोषणा करें कि उत्तर प्रदेश के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश में ....

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : बैठिए...बैठिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : इन शब्दों के साथ आपके आदेश का पालन करते हुए मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूं, धन्यवाद।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं जानता हूं कि केवल सात मिनट का वक्त है और यह सभी जानते हैं कि लोक सभा में इस बिल के पारित होने के बाद राज्य सभा से इसका पारित होना एक formality है, लेकिन सारी दुनिया में, जहां भी संसदीय शासन प्रणाली है, जहां द्विसदनात्मक संसद है, वहां अपर हाउस का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रथम सदन में अगर कोई गलती होती है या जल्दबाजी में कोई फैसला होता है, तो इस सदन के लोगों के विचारों से शायद सरकार कुछ सीख ले और कुछ करेक्शन करे, कुछ सुधार करे - यही इस सदन की सबसे बड़ी उपयोगिता है, जहां तक वित्तीय मामलों का प्रश्न है।

श्रीमन्, मैं सिर्फ दो बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा - एक तो सदन जो पैसा खर्च करने के लिए स्वीकृत करता है, गवर्नमेंट को यह देखना होगा कि वह वास्तव में जिस उद्देश्य से दिया जा रहा है, क्या उसी उद्देश्य के लिए खर्च हो रहा है? दूसरे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ब्लैक मनी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था में एक समानांतर अर्थव्यवस्था को कायम कर दिया है, parallel economy है। एक बार एक रिपोर्ट आई थी, करीब तीस साल पहले, उसके बाद ब्लैक मनी के बारे में कोई authentic बात, इस तरह की बात नहीं आई कि इस देश मे कितनी ब्लैक मनी है। सर, आप जानते हैं, economics का सिद्धांत है, किसी बड़े विद्वान ने कभी कहा था कि कभी-कभी खोटा सिक्का असली सिक्के को मार्केट से बाहर कर देता है। ब्लैक मनी की यही स्थिति हिंदुस्तान में हो गई है और इसकी वजह से जो पैसा जहां पहुंचना चाहिए, वहां नहीं पहुंच पाता है। जितना धन जिस योजना पर लगना चाहिए, उसकी सही तरीके से monitoring भी नहीं हो पा रही है। तो एक तो भ्रष्टाचार, और पिछले दिनों, रोजाना जिसकी वजह से सदन में अव्यवस्थाएं होती रहीं, वह भी भ्रष्टाचार से जुड़ा था, उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहूंगा। दूसरे, एक बार मैंने पढ़ा था कि प्रणब मुखर्जी साहब ने कहीं भाषण देते हुए कहा था कि अगर आर्थिक वृद्धि का फायदा देश के सभी लोगों को नहीं पहुंच रहा, तो सांख्यिकीय आंकड़ों से ग्रोथ दर्ज कराने का कोई मतलब नहीं है। Trickle Down सिद्धांत अब प्रासंगिक नहीं रह गया है - यह स्वयं वित्त मंत्री ने कहा था। श्रीमन्, जो आंकड़े आते हैं, वे बहुत ही deceptive हैं। इस देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, जो बिल्कुल गरीब है, जिसका कोई ग्रोथ रेट है ही नहीं। पांच-दस परसेंट लोग ऐसे हैं, जिनका पैसा तीन सौ गुना, चार सौ गुना और हजारों गुना बढ़ जाता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर आबादी ऐसी है, जिसका पैसा नहीं बढ़ता है। अगर गवर्नमेंट नीचे के तीस परसेंट, उसके बाद बीस परसेंट, उसके बाद बीस परसेंट लोगों का ग्रोथ रेट देखे, तो आपको अंदाज लग जाएगा कि कितने लोग गरीब हैं। इस देश में खेती लगभग 63 फीसदी लोगों को...हालांकि इस बार के इकॉनामिक सर्वे ने उसको 53 परसेंट कर दिया है। क्योंकि जीडीपी में उसका हिस्सा ही घटकर 15 परसेंट रह गया है। स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि ऐग्रीकल्चर सेक्टर लगभग 63 परसेंट लोगों को रोजी देने वाला सेक्टर है लेकिन उसका ग्रोथ रेट लगभग negative है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ लोगों की पूंजी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और average आ जाता है कि ग्रोथ रेट 5 परसेंट रहेगा, 6 परसेंट रहेगा, 7 परसेंट रहेगा, लेकिन वह actual नहीं होता

है, दर्पण में जो सही तस्वीर दिखाई देनी चाहिए, वह नहीं होती है। जब तक ऐग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 6 परसेंट पर नहीं आएगा, तब तक आपके आंकड़े चाहे कुछ भी कहते रहें, हमारा गरीब आदमी गरीबी की रेखा के ऊपर नहीं उठेगा। महोदय, यह जो ब्लैक मनी है और जो आंकड़ों का मकड़जाल है, इसके जरिए गवर्नमेंट खुश हो जाती है। मैं कल सुन रहा था, इसी की चर्चा चल रही थी और एक साहब कह रहे थे कि मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं कि इस देश के 78 परसेंट लोग 20 रुपए या उससे कम पर निर्भर हैं। इस पर लोक सभा में बड़ा शोर हुआ। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि जब स्वयं Economic Survey कहता है कि 63 परसेंट लोग ऐसे हैं जो 20 रुपए प्रतिदिन से लेकर 8 रुपए के बीच खर्च करते हैं, उस पर निर्भर रह सकते हैं तो क्या इन्हें आप सम्पन्न मानेंगे या गरीबी की रेखा के ऊपर मानेंगे? इस देश में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पैसे को सही तरीके से लोगों के कल्याण में लगाएं, जिसकी सदन स्वीकृति दे रहा है। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक आप आंकड़ों के जरिए कहते रहेंगे कि हम 27 परसेंट रह गए हैं या 22 परसेंट रह गए हैं, लेकिन वह रिएलिटी के नजदीक नहीं है। सर, ऐसी बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं देख रहा हूं कि समय बिल्कुल खत्म हो गया है और आप घंटी बजाने वाले हैं। यहां पर वित्त राज्य मंत्री श्री मीणा बैठे हुए हैं, मैं उनसे यहीं अनुरोध करूंगा कि इस पैसे का सही सदुपयोग हो, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप ऐक्शन लेना शुरू कर दें और काले धन पर अंकुश लगाएं तो देश का कल्याण हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। मेरा समय सिर्फ पांच मिनट का है, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि आप मुझे एक-आध मिनट उस सीमा के बाहर जाने की इजाजत दें। महोदय, मैं सरकार का और वित्त मंत्री जी का ध्यान, जो पैसा खर्च हो रहा है, उसमें एक बिन्दु की ओर दिलाना चाहूंगा और वह यह है कि हमारा संविधान जो दिशा निर्देश दे रहा है, उसके मुताबिक हम पैसा खर्च कर पा रहे हैं या नहीं, यह हमें देखना चाहिए। 1951 से 1956 के बीच में हम लोगों ने पहली पंचवर्षीय योजना पेश की। हमारा संविधान एक मामले में दुनिया के बाकी मुल्कों से अलग है। किस मामले में अलग है? दुनिया के बाकी संविधान यह बताते हैं कि शासन की प्रणाली कैसी होगी, किस ढंग से शासन चलेगा, लेकिन हमारा संविधान हमें एक दर्शन भी देता है। वह दर्शन, संविधान के जो Directive Principles हैं, दिशा निर्देशक तत्व हैं, उनसे हम हासिल करते हैं। महोदय, मैं सिर्फ एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। संविधान की जो धारा 38 है, उस धारा का जो दूसरा भाग है, वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वह भाग यह कह रहा है कि राज्य विशेष तौर पर आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। इन्कम में यह जो गैर बराबरी है गरीब और अमीर आदमी के बीच में, उस गैप को कम करने की कोशिश करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले हर लोगों के समूह के बीच में प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। संविधान ने यह दिशा निर्देश हमको दिया था। और इस संविधान सभा में जब इस चैप्टर पर बहस हो रही थी, जब उस बहस को आप पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि हमारे

संविधान निर्माताओं ने आजादी के बाद किस तरह का सपना देखा था। लेकिन आज जो देश की स्थिति है, उस स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं। आज व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो गैर बराबरी है, उसकी बात कहां से की जाए? हमको याद है जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था उस समय उन्होंने जो मांग पत्र बनाया था, उस मांग पत्र में यह बात लिखी गई थी कि इस देश के जो वॉयसराय और सामान्य आदमी हैं, उनके बीच आमदनी में क्या फर्क है, इसकी उन्होंने घोर निन्दा की थी। कांग्रेस पार्टी ने 1930 में लाहौर में जब सम्पूर्ण आजादी की घोषणा की थी, उस सम्पूर्ण आजादी के घोषणा पत्र को आप पढ़िए, उसमें भी कहा गया था कि हम इस असमानता को दूर करेंगे और हम वेतन को, खर्चे को घटाने का प्रयास करेंगे। क्या हमने उस लक्ष्य को हासिल किया है? आदमी और आदमी के बीच में गैर बराबरी कितनी बढ़ गई है, इसका तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। इस देश में 7 हजार, 8 हजार करोड़ का मकान बन रहा है, लोग अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को उनके बर्थ-डे पर तीन-तीन सौ, चार-चार सौ करोड़ रुपए का गिफ्ट दे रहे हैं, तो उस देश में गरीबी और अमीरी के बीच क्या खाई है, यह बताने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रों के बीच में क्या हालत है, सब को पता है? उपसभापति महोदय, मैं बिहार से आता हूं। यह जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का बजट पेपर है, उसके पेज-198 पर प्रति व्यक्ति GSDP में असमानता इंगित है कि 1993-94 से 2004-05 तक बिहार न्यूनतम प्रति व्यक्ति GSDP वाला राज्य है। और उसमें जो दूसरे हैं, इसको भी आप देख लीजिए। दोनों के बीच में कितना फर्क है, यह आपका बजट पेपर ही बता रहा है। बजट पेपर में जो आपने आंकड़ा दिया है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। GSDP में प्रति व्यक्ति क्या हिस्सा है और आबादी क्या है? बिहार के पास 7 हजार 486 लाख रुपए है और उसके ऊपर आंध्र प्रदेश का आंकड़ा है 26 हजार 655, आंध्र प्रदेश की आबादी 8.03 परसेंट, बिहार की आबादी 8.75 परसेंट है। यह हालत है और इसलिए आप देख लीजिए कि बिहार का 7,486 है, छत्तीसगढ़ का 20,363 है, हरियाणा का 35,893 है, इसी तरह का आंकड़ा है। अब आप बताइए कि जहां आज 8.75 आबादी रहती है वह आबादी इसलिए पीछे है क्योंकि उसका आमदनी का जो जरिया है वह इतना कम हो तो इसको आप कैसे आगे बढ़ाइएगा, जो विकसित राज्य हैं कैसे उनके बराबर आएगा और क्या आप मानते हैं कि अगर बिहार की तरक्की नहीं होगी और वहां की 8.75 परसेंट की जो आबादी है वह उसी तरह से पिछड़ी रहेगी, तो क्या यह देश आगे बढ़ जाएगा? मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जो सामान्य बजट प्रक्रिया है जिसके तहत आप राज्यों को सहायता देते हैं या उस तरीके से जो दबे हुए राज्य हैं, पिछड़े राज्य हैं क्या आप उनको ऊपर उठा पाएंगे? आप उनके लिए क्या कह रहे हैं, यह हम जानना चाहेंगे?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरी बात की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह आर्थिक मंदी का दौर रहा, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। ऐसी हालत में वित्त मंत्री जी ने तीन किश्तों में लगभग साढ़े तीन

लाख करोड़ रुपए का लाभ कारपोरेट सैक्टर को दिया। लेकिन सचमुच आर्थिक मंदी का प्रभाव जो देश के धनी लोग हैं, क्या उनके ऊपर पड़ा है? यह जो एक पत्रिका Forbes है, जो दुनिया भर के अरबपतियों की संख्या के बारे में बताया करती है, उसने कहा है कि इस बीच में जो आर्थिक मंदी का दौर रहा है, इस दौर में हमारे देश में अरबपतियों की संख्या दोगुनी हो गई है। पिछले साल जो आर्थिक मंदी का दौर था, उसमें हमारे देश में 25 प्रतिशत ज्यादा कारें बिकी हैं, पिछले सालों के मुकाबले में करीब 15 लाख कारें ज्यादा बिकी हैं। यही नहीं, वित्त मंत्री जी आप यह भी देखेंगे कि पिछले साल जितनी नई मोटर गाड़ियां देश में लांच हुई हैं, उतनी कभी लांच नहीं हुई थीं। देश में गरीबी है, देश में महंगाई है और उसके बावजूद हमारे देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। अरबपतियों को और कारपोरेट सेक्टर को मंदी से निपटने के लिए सरकार साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये की रिबेट दे रही है, इसका क्या मतलब है?

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : तिवारी जी, दो मिनट का समय ज्यादा हो गया है। आपने एक मिनट का समय मांगा था, लेकिन दो मिनट का समय ज्यादा हो गया है।

श्री शिवानन्द तिवारी : सर, मैं खत्म कर रहा हूं। यह जो स्थिति है, इस स्थिति के बारे में, एक देवेन्द्र शर्मा जी हैं, मैं उनका लेख पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत बढ़िया जमुला इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि लागत का समाजीकरण, जो इन्वेस्टमेंट है, उसका तो समाजीकरण हो, लेकिन मुनाफे का निजीकरण होना चाहिए। फिक्की की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि कारपोरेट सेक्टर की आमदनी 130 से 150 प्रतिशत तक बढ़ी है, लेकिन आप उस पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं। जो गरीबों को राशन मिल रहा है, जो गरीबों को सब्सिडी मिल रही है, उसके ऊपर बहुत लोगों की नजर है कि इससे बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। सरकार बहुत अच्छा काम करने जा रही है, वह फूड सेक्योरिटी एक्ट को लेकर आ रही है, 25 किलो अनाज तीन रुपये के हिसाब से बीपीएल वालों को देने में करीब 28860 रुपये का खर्च होगा, अगर 35 किलो दिया जाए तो 40400 करोड़ रुपये का खर्च होगा और मैक्सिमम 56000 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।...(समय **की घंटी**)... गरीबों को 40400 करोड़ रुपया देने में आपकी छाती फटती है और दूसरी तरफ साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये आपने कारपोरेट सेक्टर को दान में दे दिए।...(समय **की घंटी**)... यह जनता का पैसा है, यह गरीब देश का पैसा है। इस देश में लोग भूख से मर रहे हैं। ...(**समय की घंटी**)... उनके पेट पर लात मार कर अमीर लोगों को मुनाफा पहुंचा रहे हैं।...(समय **की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : तिवारी जी, आप समाप्त करिए। आप इधर देखिए।

श्री शिवानन्द तिवारी : सर, मैं खत्म कर रहा हूं। यहां पर वित्त राज्य मंत्री जी मौजूद हैं। आप संविधान को सामने रखिए, संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको सामने रखिए और उसके जो दिशा-निर्देश हैं,

उनके हिसाब से आप खर्च कर रहे हैं कि नहीं, यह देखिए। ...(**समय की घंटी**)... इसी कसौटी पर आप अपने बजट को देखिए, इससे ही कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आर.सी. सिंह (पश्चिमी बंगाल) : सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और सबसे पहली बात यह कहना चाहूंगा कि सरकार बुनियादी तौर पर नीयो लिबरल इकनोमिक पॉलिसी को ही इम्प्लीमेंट कर रही है। सर, महंगाई का क्या असर है, यह आपने देखा है। पिछली 27 तारीख को पूरा हिन्दुस्तान बंद रहा। केन्द्र सरकार को पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। हालांकि सरकार ने टैक्स के माध्यम से या stimulus package के माध्यम से बड़े घराने को पांच लाख करोड़ से भी ज्यादा की छूट दे रखी है और इसके चलते जो आम लोग हैं, जो मेहनत-मशक्कत करने वाले लोग हैं, जो विशेषकर जंगलों में रहने वाले हैं, उनके ऊपर टैक्स का बोझ सरकार बढ़ा रही है। सर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जो लोग माइन्स के इलाके में काम करते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है, उनकी टोटल आमदनी के ऊपर साढ़े सात परसेंट जोड़कर उस पर इन्कम टैक्स लिया जा रहा है। इनको सरकार द्वारा छूट देनी चाहिए थी, लेकिन इनके बदले में सरकार बड़े घरानों को छूट दे रही है।

दूसरी तरफ देखिए डीजल, पेट्रोल और खाद पर टैक्स बढ़ाकर सरकार ने आम लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ और बढ़ा दिया है। किसानों को फर्टिलाइजर पर कोई छूट नहीं दी जा रही है। आज देश की जो आर्थिक अवस्था है, उसमें सबसे कमजोर किसानों को मजबूत करने के लिए उनको फर्टिलाइजर पर छूट देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उन पर टैक्स का बोझ बढ़ाया है। एक तरफ इन्होंने कहा कि जो देश में काला धन है, हम उसको निकालेंगे, लेकिन उसको निकालने के बजाए सरकार और छूट दे रही है। महंगाई बढ़ाकर वह सब नहीं कर पा रही है जो आम लोगों के लिए करना चाहिए। दुनिया की आर्थिक मंदी के दौर में Public sector ने अपने देश की आर्थिक अवस्था को खड़ा रखा था, मजबूत रखा था, आज उस पब्लिक सेक्टर का शेयर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। सरकार को इसको बेचने से रोकना चाहिए, क्योंकि यही देश का बुनियादी ढांचा है और देश को मजबूत कर सकता है। इसलिए Public sector के शेयर बेचना सरकार को बंद करवा देना चाहिए।

सर, मैं आपका एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां भुखमरी की अवस्था है और सरकार के पास अनाज रखने के लिए गोदाम नहीं हैं। इस कारण से राजस्थान में गेहूं सड़ रहा है, लेकिन राजस्थान में शराब को गोदामों में रखा जा रहा है। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं समय का पूरा ध्यान रख रहा हूं, क्योंकि आपने पांच मिनट कहा था। अभी तो तीन ही मिनट हुए हैं। वहां पर AC गोदामों में शराब रखी जा रही है और हमारा गेहूं बाहर सड़ रहा है। अगर इस बारे में अधिकारियों से पूछा जाता है, तो कहा जाता है कि chemically treat करके इनको खाने लायक बना देंगे। सरकार को गेहूं को गोदामों में रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे देश में गरीबी के

विभिन्न आंकड़े आ रहे हैं। माननीय श्री अर्जुनसेन गुप्त जी की रिपोर्ट के हिसाब से देश की 73 प्रतिशत आबादी प्रतिदिन के हिसाब से बीस रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकती है। श्री तेंदुलकर साहब के हिसाब से 42 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इनके लिए जो Public distribution system होना चाहिए, इनके लिए बजट में जो और एलोकेशन होना चाहिए, वह नहीं है। दूसरी तरफ जो हमारे देश के बड़े लोग हैं, धन्ना सेठ हैं, वे IPL और दूसरे माध्यमों से सट्टेबाजी कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार को जो टैक्स लगाना चाहिए, वह नहीं लगा रही है और आंख मूंदकर बैठी हुई है। इस बजट में काले धन की उगाही का कहीं कोई जिक्र नहीं आया है।

सर, मैं शिक्षा के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा ...(**व्यवधान**)... आपने पांच मिनट कहा था, अभी चार मिनट ही हुए हैं, मैं पांच मिनट होने से पहले ही बंद कर दूंगा। आज शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। इस बजट में शिक्षा के ऊपर जो एलोकेशन होना चाहिए था, वह कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। Agricultural research के ऊपर और एलोकेशन होना चाहिए था, जो हमारी Natural resource है, mines and minerals हैं, उनके रिसर्च पर जो एलोकेशन करना चाहिए था, वह नहीं किया गया है और इनका एलोकेशन कम रखा गया है। इनके लिए और एलोकेशन रखने के बजाए धन्नासेठों को छूट दी गई है, इसलिए मेरा यह कहना है कि आम लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है, उन पर टैक्स का बोझ कम किया जाए। जो कम आमदनी करने वाले हैं, उनको Food security दी जाए तथा health, drinking water and employment generation को बढ़ावा दिया जाए। ...(**समय की घंटी**)... शिक्षा का व्यवसायिकरण हो रहा है, उसको रोका जाए।

श्री साबिर अली (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस UPA-II की सरकार ने बड़े जोर से नारा दिया था कि यह सरकार आम आदमी की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, लेकिन जब बजट आया, तो उसको देखकर प्रतीत होता है कि यह सरकार आम आदमी की नहीं, बल्कि खास आदमी की है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस देश में कौन सी व्यवस्था है पांच लाख करोड़ की रकम उन लोगों के लिए माफ कर दी गई, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़े पूंजीपति हैं। उन लोगों के लिए, जो इस देश को लूट रहे हैं। आपने इलेक्शन से पहले सिर्फ सात हजार करोड़ रुपया गरीबों और किसानों के लिए दिया। आपने पूरे देश को सिर पर उठा लिया कि हम गरीबों के हितैषी हैं। आप सात हजार करोड़ रुपया किसान को देते हैं तो पूरे देश में ढिंढ़ोरा पीटते हैं और पांच लाख करोड़ रुपया, उन अमीरों के लिए, जिनसे उनकी सांठ-गांठ है, उसकी चर्चा तक नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी उन पांच लाख करोड़ रुपये का हिसाब दें कि वह क्यों माफ किया, किन-किन परिस्थितियों में माफ किया गया और उसका क्या क्राइटेरिया है? यह पांच लाख करोड़ रुपया माफ करना इस देश के लिए बहुत घातक है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी को इस पर सफाई देनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नरेगा में इतना बड़ा एलोकेशन होता है। इस सदन में बैठे हुए हम लोग यह जानते हैं, गांव-गांव के गरीब लोगों को पता है कि नरेगा में जो पैसा जाता है, इसमें आपकी जो

व्यवस्था है, उसमें कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। वहां पर नब्बे परसेंट पैसे की लूट की जा रही है। मैंने बार-बार कहा कि पहले अपने सिस्टम को सुधारिए, फिर आप पैसे का एलोकेशन कीजिए। हम लोग, जो गरीब किसान हैं, छोटे-छोटे लोग हैं, जो गांव में पैसा कमाते हैं, उन पर आप दस तरह के कर्ज के माध्यम से डबल वसूली करते हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि 1998 के बाद आपकी सरकार दो बार आई, लेकिन आपने एक बार भी कोशिश नहीं की कि एक गरीब किसान पांच मील दूरी तय करके अपने एकाउंट में पैसा जमा करने के लिए शहर में आता है, लेकिन आपकी कैसी व्यवस्था है, आप कैसे वित्त मंत्री हैं कि वह बीस हजार से ज्यादा जमा नहीं कर सकता है। आपका पूंजीपति पांच करोड़ रुपए एक दिन में जमा कर सकता है और निकाल सकता है, लेकिन अगर वह पांच मील दूर से सफर करके आता है तो बीस हजार रुपए जमा करने के लिए उसे दो घंटे खड़े रहना पड़ता है, तब वह बीस हजार रुपए जमा करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि अपने आज तक उसमें अमेंडमेंट क्यों नहीं किया? आपने 1982 में किया, 1998 में किया, उसके बाद आपने उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं समझी। यह इसलिए नहीं समझी कि आपकी सरकार किसानों की सरकार नहीं है, आपकी सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, आपकी सरकार मजदूरों की सरकार नहीं है, आप सिर्फ जुबान से जुबानी जमा खर्च करते हैं। पूरी दुनिया देख रही है। आपके आईपीएल को तीन साल हो गए। आईपीएल चलाया जा रहा है, लूटमार हो रही है, बॉल टू बॉल फिक्सिंग की जा रही है, विकेट टू विकेट फेंकी जाती है, सब फिक्स किया जाता है। हर प्लेयर कितने ओवर बॉल करेगा, किस पर सिक्स मारा जाता है, किस पर नो बॉल होगा, किस पर वाइड बॉल होगा, इसकी फिक्सिंग की जाती है। उस वक्त आपका तंत्र कहां था, आपके वित्त मंत्री क्या कर रहे थे, उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं की? जो आईपीएल के मोदी थे, उनके ऊपर नजर क्यों नहीं रखी गई? वे दो साल पहले पांच लाख इनकम टैक्स भरते हैं और आज ग्यारह करोड़ इन एडवांस में पे करते हैं। आपकी नजर कहां गई थी? मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी को ...(**व्यवधान**)... हां, वह तो पूरी सरकार है। उनमें पांच-सात लोगों की नहीं कहते, वहां भी गरीब लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी पूछ नहीं होती है, वहां चंद लोग हैं, जो सरकार को चला रहे हैं। मैं जानता हूं, आप ठीक कह रहे हैं ...(**व्यवधान**)... यह आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी को रिस्पॉंसिबिलिटी होनी चाहिए। वे इस पांच लाख करोड़ रुपए की सट्टेबाजी की अपने ऊपर जिम्मेदारी लें और इस सदन में भारत सरकार से इस्तीफा दें, क्योंकि उनकी गलती से, उनकी सरबराही में इतना बड़ा काम हुआ है। इतना सीनियर लीडर होते हुए इस देश में इतना बड़ा घोटाला हुआ। वे पांच लाख करोड़ रुपए की सट्टेबाजी की जिम्मेदारी लें और अपने पद से इस्तीफा देने का काम करें। मैं और कुछ नहीं कहता, मैं केवल यह कहता हूं कि आप गरीबों की बात कहते हैं, अगर आपने इसमें दिशा नहीं दी, तो आपकी आवाज, जो गरीबों तक जा रही है, आपके कार्यक्रम और आपका यह गरीब किसान नहीं बच सकेगा, आप दुबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है, आप उसमें एका लाइए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री मंगल किसन (उड़ीसा) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। इस देश में जो बैकवर्ड रीजन है, जिसके लिए सपना लिया है, उसके बारे में इस बजट में, इस एप्रोप्रिएशन बिल में सरकार को अच्छा ध्यान देना जरूरी था। देखने में आता है कि जहां माओइस्ट लोग हैं, जहां नक्सली लोग आम जनता को कंट्रोल कर रहे हैं, वहां सब पिछड़ा इलाका है, वह सब बैकवर्ड रीजन है, वह सब शेड्यूल्ड एरिया है। वह सब backward region है, वह सब scheduled area है, मगर आजादी के 63 साल बाद भी हिन्दुस्तान की सरकार ने उस एरिया के development के लिए अभी तक कुछ अच्छा बजट या प्रोग्राम नहीं किया है, जिसके चलते अभी देश की जो problem है, naxalism या maoists की, उसी region में है। पूरे बंगाल से लेकर पूरे महाराष्ट्र तक, जहां पिछड़ा इलाका है, जहां गरीब इलाका है, उसी इलाके में वे लोग अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं और वहां के youth को भड़का कर नौकरी के नाम पर अपनी तरफ कर रहे हैं। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के backward regions देश के मध्य में हैं। इनके लिए भारत सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा और इनके लिए special programme करना पड़ेगा।

इसके बाद देश का जो Tribal Welfare Department है, उस डिपार्टमेंट को भारत सरकार कुछ सालों से continuously neglect करती आ रही है। हम लोगों ने पूरे हिन्दुस्तान के Tribal Welfare Department के लिए प्लान में सिर्फ 1,200 करोड़ रुपए दिए हैं। यह कोई बजट है! जो Scheduled Tribes सबसे पीछे हैं, जो Scheduled Castes समाज में सबसे पीछे हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए दो टाइम का अनाज नहीं है, उनके लिए भारत सरकार को सोचना चाहिए। जैसा साबिर अली साहब बोल रहे थे कि भारत सरकार multinational company को 5 लाख करोड़ से ज्यादा subsidy देती है, छूट देती है और यह जो गरीब आदमी है, इसके लिए सिर्फ 1.00 करोड़! यह सरकार जब इनके बारे में बोलती है और जब development की बात आती है, तो सरकार सब समय बोलती है कि नहीं, financial crisis है। Multi national company को छूट देने के लिए कहां financial criris है? जो Tribal Welfare Department, Social Justice Department, Minority Welfare Department और OBC के development के लिए, department हैं, समाज के सबसे निचले वर्ग का गरीब आदमी उन्हीं डिपार्टमेंट्स से ताल्लुक रखता है। अगर इन डिपार्टमेंट्स को neglect किया जाएगा, तो क्या होगा? इस देश में 80 प्रतिशत से ज्यादा आदमी इन डिपार्टमेंट्स के अन्दर आते हैं, मगर इन डिपार्टमेंट्स का बजट देखने से मालूम होता है कि it is below Rs. 5,000 crores. इससे क्या होगा?

सर, इसके बाद लेबर डिपार्टमेंट है। ज्यादातर आदमी, जो देश को बनाने वाले हैं, निचले स्तर में हैं, वे इस डिपार्टमेंट के अन्दर जाते हैं। यह जो labour class है, जिसे आप लोग working class कहते हैं, अभी जितनी multi national companies नए तौर से हिन्दुस्तान में बनी हैं, उसकी मजदूरी हर रोज कितनी है? 1,500 रुपए महीने से उनकी तन्ख्वाह चालू होती है और maximum अभी grade 'D' की नौकरी में 4,000 रुपए महीने तन्ख्वाह है। न उनका PF कटता है, न उनका कोई insurance है और कुछ नहीं है। पहले इन लोगों को रखते हैं और फिर दूसरे

दिन निकाल देते हैं। ऐसा होने से इन गरीब आदमियों का economic development नहीं होगा। इसीलिए working class, labour class की service security होनी चाहिए। सर, आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हिन्दुस्तान का निग्लैक्टिड एरिया है, हमारे वे भाई भी हिन्दुस्तान के ही हैं। आजादी के 63 साल बाद भी सरकार को स्वतंत्र रूप से उनके बारे में सोचना पड़ेगा और खास तौर पर उनके डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे एवं उनको देश के साथ लाना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर में देश के लिए वे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन कर खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद।

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़) : उपसभाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं अपने जीवन में पहली बार किसी मनी बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, इसलिए यदि कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। मैंने इससे पहले कभी इतने अंक भी नहीं पढ़े थे, इसलिए इस विनियोग विधेयक में जो राशि दी गई है, उसको पढ़ना भी मेरे लिए कठिन है, जैसे 466 खरब, 10 अरब, 38 करोड़ वगैरह-वगैरह।

इस देश में आज कितने ही लोग महंगाई के कारण मारे जा रहे हैं। मैं प्रणब मुखर्जी साहब और अन्य सबकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं सोचता था कि इस देश में महंगाई पर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, लोगों ने भारत बंद किया, लेकिन उस पर हम सहानुभूति के दो शब्द भी नहीं बोल सके। और नहीं तो कम से कम यह तो मानना चाहिए था कि देश में महंगाई बढ़ी है। कम से कम देश के प्रति सहानुभूति का इज़हार तो कर देते। यह इतना सम्पन्न देश है, जिसका बजट बनाते समय हम बहुत सी बातों के संबंध में सावधानियां बरत सकते हैं, जो हमने नहीं बरतीं और रोज़ हम नई-नई मांग लेकर आते हैं। जब मैं आपकी विनियोग विधेयक की राशियां देख रहा था, जिसे आप कानून के द्वारा पक्का करना चाहते हैं, तो मैंने देखा कि भारत की संचित राशि में से 36 हजार करोड़ से अधिक की पूंजी रक्षा के लिए मांगी है, 7.9 हजार करोड़ की पूंजी पुलिस के लिए मांगी है और 8 हजार करोड़ की पूंजी सड़क परिवहन के लिए मांगी है। जब मैं विभिन्न मंत्रालयों के बारे में सोचता हूं तो विचार आता है कि इस देश की रक्षा का क्या हाल है। हमारी चारों सीमाएं असुरक्षित हैं। न तो हम समुद्र की ओर से सुरक्षित हैं, न भूमि पर सुरक्षित हैं, आखिर हम कहां पर सुरक्षित हैं? हम ये सब जो राशियां मांग रहे हैं, आखिर किस काम के लिए मांग रहे हैं?

मैं यहां एक ही बात कहना चाहूंगा, रूस से एक पोत आने वाला था, उसका नाम शायद गोर्शकोव था, पिछली बार विदेश मंत्री जी से भी मैंने उसके बारे में पूछा था कि उसका क्या हुआ, क्या कोई सैटलमेंट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कोई बात साफ नहीं हुई। इस प्रकार की अनेक बातें हैं, जिनके होते हुए भी हम और नये-नये पैसे मांगते रहते हैं।

महोदय, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। आपने नक्सलवाद के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की बहुत बार चर्चा सुनी होगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछा था। मैंने पूछा था कि वहां के लोग पुलिस को 'ए' ग्रेड देना चाहते हैं और यह जानते हुए कि वह नक्सलवाद से इतना अधिक पीड़ित है, आप उसे 'ए' ग्रेड देने के बारे में क्या विचार कर रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ यह कहना पड़ता है, मुझे वहां बताया गया कि वहां के लिए 'ए' नहीं, 'बी' ग्रेड ही मिलेगा। सर, व्यवहार में आखिर हम क्या करना चाहते हैं? हम राशियां तो अधिक मांगते हैं, परन्तु जिन-जिन राज्यों में आवश्यकता है, उनकी तरफ हम ध्यान देते भी हैं या नहीं देते, मुझे नहीं मालूम।

सर, आज सड़क परिवहन का क्या हाल है? मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां पर हम सड़क बना ही नहीं सकते हैं। आपसे वहां के लिए कई बार कहा है कि उन स्थानों पर सुरक्षा बलों के द्वारा जो सड़क बननी है, कृपया उसे बनवाइए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, एक विनियोग विधेयक कल मिला था, आज फिर एक और मिल गया है, जिसमें 1 अरब 71 करोड़ की अतिरिक्त राशि की मांग की जा रही है। यह किस प्रकार की प्लानिंग है? क्या हमें प्लानिंग करने में दिक्कत होती है कि हम नई-नई राशियां मांगते रहते हैं?

महोदय, एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ...(**समय की घंटी**)... इस विधेयक में मेरे लिए यह भी कौतूहल का एक विषय है कि संचित निधि पर भारित राशि संसद के द्वारा अनुदत्त राशि से 36 गुना ज्यादा है। मेरे लिए यह बहुत आश्चर्य की बात है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : बस आपका समय हो गया है ...(**व्यवधान**)...

श्री श्रीगोपाल व्यास : सर, मैं मंत्री महोदय से एक क्लैरिफिकेशन मांगना चाहता हूं, वह यह है कि जिन मंत्रालयों का इसमें उल्लेख है, सरकार यह स्पष्ट करे कि क्या वे मंत्रालय या विभाग 7 सितम्बर, 2009 से पूर्व अस्तित्व में थे? इसका उत्तर देना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है, इसलिए कृपया इसे स्पष्ट कर दीजिए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (Assam): Sir, I want to make some observations on this Appropriation Bill. The North East Region, including Assam, is economically backward and the reason for its backwardness is that the States in this region are landlocked, geographically isolated from the main centres of industry and trade. Earlier the British rule and later the Government of India left the indigenous people to themselves. No attempt was made to bring them into the mainstream of India till the mid sixties. The region is predominantly agricultural and largely tribal. The indigenous people live on subsistence economy, producing very little surplus. On the other hand, the region has produced very few entrepreneurs.

Sir, in the Budget speech of. 2010, the Finance Minister fails to utter a single word 'Assam' or North East'. This is because the intention of the Finance Minister is clear that the North East Region is already in the vision plan. Sir, for Assam or North

4.00 P.M.

East Region there is only vision, but no reality. The Budget gives special focus on agriculture as an amount of Rs. 400 crore has been provided to extend the green revolution to the Eastern region. The Eastern region includes Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, eastern UP, West Bengal and Orissa. It is very much disheartening to note that Assam is not included in the green revolution process. The Budget has increased the rate of Minimum Alternative Tax (MAT) by 3 per cent. It will act as disincentive for companies located in the North Eastern Region. Sir, the Budget brings unhappiness in many aspects. Firstly, there is clear lack of political seriousness in implementation of social sector programmes. Otherwise, why should the eight of fifteen flagship schemes of Bharat Nirman project remain idle with one-third of their funds still unspent? Secondly, the country's unemployment problem has always been casually treated. The Finance Minister's efforts to earn a revenue of Rs. 46,500 crores, mostly from indirect taxes, will hit both producers and consumers in a big way.

Sir, the State Governments are not utilizing the funds properly in the North Eastern Region and the State Governments have very poor record of fund utilization. We must agree to it. But the Budget has ignored North Eastern Region's share in various aspects. The Budget failed to restore the prospects of NEIIPP 2007. That got damaged through dilution of some incentives originally extended to it. Necessary corrective steps need to be taken in this regard. Thank you, Sir, for having given me this opportunity to speak on this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Thank you. You stuck to the time.

DR. BARUN MUKHERJI (West Bengal): Sir, I am grateful that you gave me a chance to make a few comments on the Appropriation Bills at the fag end of the discussion. My observation is that the basic objectives of good financial management in the present Indian context should be alleviation of poverty and unemployment and, secondly, containing the increasing price rise. But the basic question is, whether these two basic objectives have been satisfied or not. It is our daily experience that the prices are gradually going up. On the other hand, the position of unemployment is gradually worsening. It appears that only for the NREGS, they made a budgetary provision for addressing the unemployment problem. But it will not be sufficient in the present form. At least, it should be 200 days of work a year. And this scheme should be extended to urban poor. If this cannot be done, the benefits of the MGNREGS cannot be obtained fully.

We must also look at the present financial position and economic affairs of the States. According to a recent national survey, about 50 per cent of our farmers are in debt; and 77per cent of our population lives on Rs.20 a day. With this grim picture of financial position of our country, people will not be satisfied only with the stories of the GDP growth rate going up. Unless and until the basic objectives of good financial management are satisfied, I think we shall have to think how to create better economic position.

Here I would like to refer to two things. One is SEZ and another is disinvestment of profit-making public sector undertakings. Disinvesting profit-making PSUs cannot be termed a very good policy. It is, to some extent, self-destruction. SEZ, it appears, is the revival of the old feudal system. It has made scope for creating a very, very privileged class of people which is detrimental to the interest of national economy. Keeping these two things in view, we cannot say that we are going forward for a sound economic development in spite of the fact that the GDP growth rate is going up.

I wanted to highlight only these two points on Appropriation Bills.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, at the outset, I would like to thank the hon. Members who have participated in the discussion and given valuable suggestions and inputs on Appropriation Bill Nos.2 &3 which relate to Demands for Grants for the year 2010-11 and the regularisation of excess expenditure for the year 2007-08 respectively. My senior colleague, hon. Finance Minister, will deal with the various issues connected with the Finance Bill, 2010 and other aspects of Budget 2010-11 when he gives reply to discussion on the Finance Bill.

I take this opportunity to first respond to some of the issues related to the Budget 2010-11 and re-emphasise the broader objectives. Hon. Members will recall that the Government had to undertake various fiscal and administrative measures during 2008-09 and 2009-10 to minimize the impact of global slowdown on the Indian economy. These measures *inter alia* included increase of allocations for social sector and infrastructure related schemes along with cut in rates of taxes and duties. These interventions are targeted to insulate the vulnerable sections of the society and sectors of economy from the impact of economic downturn and, at the same time, ensure revival of economy with higher growth. Budget 2010-11 has provided further impetus to sustain growth on the one hand, while, oh the other, it has chartered out a well calibrated path of fiscal consolidation without hurting the process of economic revival. This could be seen from the fact that while Plan expenditure of Rs.3,73,092 crore has been increased by 15 per cent over BE of 2009-10, the increase in non-Plan

expenditure has kept at a modest six per cent over the BE of the previous year. This has resulted in allocation of more resources towards infrastructure and social sector schemes which re-emphasises our commitment to inclusive growth. While providing for additional expenditures with reduced rates of taxes and duties, the Government had to resort to higher fiscal deficit in 2008-09 and 2009-10. That level of fiscal consolidation is not sustainable in medium to long-term. Therefore, we have given a roadmap for fiscal consolidation starting from 2010-11. The fiscal deficit for 2010-11 has been reduced to 5.5 per cent of GDP. With this, the Government has reverted back to the path of fiscal consolidation with gradual exit from the expansionary measures in a well calibrated manner. The process of exit has been so designed that it would not affect the revival process.

Sir, some hon. Members, like Shri Moinul Hassan, raised a question of fiscal consolidation. I will respond to him. With improvement in economic condition coupled with reforms and expenditure management and tax administration, the process of fiscal consolidation would be taken forward in medium term. Accordingly, in the mid term fiscal policy statement, rolling targets for fiscal deficit in 2011-12 and 2012-13 have been fixed at 4.8 per cent and 4.1 per cent of the GDP respectively. These projections are in line with the fiscal roadmap prescribed by the Thirteenth Finance Commission. Based on these projections, the Government would be able to achieve the targeted level of debt-GDP ratio of 45 per cent of the Central Government by 2014-15.

Sir, Prof. Ram Gopalji and Shri Tiwariji raised the issue of proper utilization of funds. With the allocation in place, now the focus has turned towards implementation and outcomes. Monitoring of implementation of Budget announcements is being done by the Finance Ministry. We are making sincere efforts to ensure that the outcomes would be seen on ground in appropriate course of time.

Now, I would turn to the issues related to the regularization of excess expenditure for the year 2007-08.1 would like to bring to the notice of the hon. Members that the Public Accounts Committee have recommended the regularization of excess expenditure. In pursuance of the report of the PAC and as per the procedure laid down for the regularization of excess expenditure in the PAC report, the Government is required to have the excess expenditure approved by Parliament. As a matter of financial prudence, excess expenditure should ideally not occur at all. But, in certain circumstances,

these become unavoidable. In the year 2007-08, the excess expenditure occurred only in 6 grants, also in 99 grants and 5 appropriations and amounted to a total of only Rs. 171.35 crore. I would, however, like to emphasize that the amount that we are seeking to regularize for 2007-08 is nominal, much lower, both in terms of actual amount and percentage to their budgetary allocations when compared to previous years.

Some hon. Members have raised some important points. I would like to respond to them. Some of them I have already covered. Shri Ramdas Agarwal raised the question of price rise. As I have said, the hon. Finance Minister would be replying to these questions at the time of the Finance Bill. However, I would like to tell the House and the hon. Member that price rise is a cause of concern to the Government. We have taken several steps from time to time to bring down the price rise. Prices are expected to come down in the coming months. The second issue he raised was about the realization of the outstanding tax recoveries. Sir, I would assure the hon. Member that all-out efforts are being made to recover the outstanding taxes. He raised the issue of IPL. Sir, the hon. Finance Minister has already stated that the matter is being enquired into and action will be taken against the guilty.

Hon. Member, Shri Shantaram Laxman Naik, raised the question that there is a need for simplification of financial sector laws. Sir, the Government has announced the setting up of a Financial Sector Legislative Reforms Commission to re-write and clear the financial sector laws. This was announced by the hon. Finance Minister in the Budget speech.

Hon. Member, Shri Moinul Hassan, raised two questions about the FRBM. During 2008-09 and 2009-10, the Government took a conscious decision to deviate from the mandated target and the FRBM Act and rules. This was done to protect the Indian economy from the adverse impacts of the global economic slowdown and to provide fiscal stimulus for ensuing growth. The hon. Finance Minister has already explained this while presenting the Budget 2010-11. He has also outlined the future road map for fiscal consolidation. Another question he raised was that out of the total appropriation, more than 50 per cent is for repayment of debt. Sir, out of the total repayment of debt, 96 per cent is for repayment of Treasury bills, and ways and means advances. Repayment of market borrowings, that is, long-term debt, is only Rs. 1,12,133 crores.

The hon. Member, Shri R.C.Singh, raised the question of lack of adequate provisions for agricultural research. Sir, the plan allocation for the Department of Agriculture Research and Education has been increased from Rs. 1760 crores in BE 2009-10 to Rs. 2300 crores in BE 2010-11. This represents about 30 per cent increase.

Shri Mangala Kisan raised a question that there is only a Rs.1,200 crore provision for tribal welfare. Sir, I would like to submit that the total Plan allocation for the Ministry of Tribal Affairs is Rs.3,206.50 crores in BE 2010-11. Only for the Central Sector Plan, there is a provision of Rs. 1,200 crores.

Shri Sabir Ali raised a question कि यह बजट आम आदमी का नहीं है और यह सरकार आम आदमी की नहीं है, किसानों की नहीं है। मैं इसमें अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने 71,000 करोड़ के ऋण माफ किए और नरेगा जैसी योजना चलाई। किसानों को इस बजट में 3,75,000 करोड़ का ऋण, जो समय पर देने वाले हैं, उनको पांच परसेंट पर दिया। गांवों में बी.पी.एल. परिवारों को बिजली के फ्री कनेक्शन देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना चल रही है और प्रधान मंत्री सड़क योजना गांव-गांव में जा रही है। शिक्षा का अधिकार, Food Security Act, तो ये सब गरीब आदमियों के लिए नहीं, तो किसके लिए हैं? जितनी भी poverty alleviation की योजनाएं हैं, उन सबमें गरीब और आम आदमी को टार्गेट करके ही बजट में प्रावधान किया गया है।

Sir, with these words, I request that both the Appropriation Bill (No.2 & No.3) of 2010 may be considered and returned.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The motions for consideration of Appropriation (No.2) Bill, 2010 and Appropriation (No.3) Bill, 2010 are already moved. I shall, first, put the motion for consideration of Appropriation (No.2) Bill, 2010 to vote. The question is:

> That the Bill the authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidate Fund of India for the services of the financial year 2010-11, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, I beg to move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We shall now put the motion for consideration of Appropriation (No.3) Bill, 2010 to vote. The question is:

> That the Bill to provide for authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2008 in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, I beg to move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

SHORT DURATION DISCUSSION

Alleged Tapping of Telephones of certain politicians

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now we shall take up Short Duration Discussion. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Sir, I am on a point of order. ...*(Interruptions)*... I am referring to Rule 258 which enables a Member to raise a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Which is the rule? ...*(Interruptions)*...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, I am on a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You quote the rule. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Rule 258 which refers to the entitlement of a Member to raise a point of order. ...*(Interruptions)*...